न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0/जे0एम0,14 वां वित्त आयोग, औरैया।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1111/2026

CNR.N0.UPAU040101272026

राज्य बनाम अरविन्द सिंह
मु0अ0सं0–77/2026
धारा–115(2),352,351(2) बी0एन0एस0
थाना–अयाना, जिला औरैया।

दिनांक–21.07.2026

1. अभियुक्त **अरविन्द सिंह पुत्र मुलायम सिंह** की ओर से मु0अ0सं0–77/2026, अन्तर्गत धारा–115(2),352,351(2) बी0एन0एस0, थाना अयाना, जिला औरैया के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी का अपराध जमानतीय है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

3. थाना अयाना से प्राप्त आख्यानुसार थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–77/2026, अन्तर्गत धारा–115(2),352,351(2) बी0एन0एस0 में अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र मुलायम सिंह वांछित है।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं आत्मसमर्पण किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए बिना गुण दोष पर टीका–टिप्पणी किये, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए बिना गुण दोष पर टीका–टिप्पणी किये, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा 20,000/–रूपये की एक जमानत एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(विजय प्रकाश)
सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0/जे0एम0
14 वां वित्त आयोग, औरैया।
J.O.Code :UP3807

Digitally signed by VIJAY PRAKASH
Date: 2026.07.23 16:20:54 IST
Reason: Order
Location: CJJDFTC Auraiya